

5.8.24

वकील प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी द्वारा डिकी अनुसार
समस्त रिकार्ड के अंकन होगा बताया। प्रार्थी पत्र के
कोई कापवाही शेष नहीं होने पर प्रार्थी को स्वीकार
दिनांक की पत्रवली नंबर से कर लेकर दाखिल
कराया है।

आदेश से अपील सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GICMS
2024/179